सत्यमेव जयते

अष्टादश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-5

शुक्रवार, तिथि 08 फाल्गुन, 1947 (श०) / 27 फरवरी, 2026 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 10

(1)	स्वास्थ्य विभाग	-	-	06
(2)	ऊर्जा विभाग	-	-	01
(3)	विधि विभाग	-	-	01
(4)	आपदा प्रबंधन विभाग	-	-	02
			कुल योग --	10

रोप-वे का पुनर्निर्माण

'क'-49. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ0जा0))--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 27 दिसम्बर, 2025 को प्रकाशित शीर्षक ''रोहतास रोप-वे ध्वस्त पिलर एक सीध में नहीं थे'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के चेनारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत रोहतास से चौरासन मंदिर (रोहितेश्वर धाम) पर जाने के लिए बना रोप-वे ट्रायल के दौरान ही ध्वस्त हो गया, यदि हाँ, तो क्या सरकार इस गंभीर घटना का उच्चस्तरीय जाँच कराते हुये दोषी संवेदक एवं अभियंताओं पर कार्रवाई करते हुये रोप-वे का पुनर्निर्माण कबतक कराने का विचार रखती हैं, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति कराना

123. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के जिला अस्पतालों में आई0सी0यू0 वार्डों का संचालन विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के कारण गंभीर समस्या बन गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला अस्पताल में सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर निवेश के बावजूद आई0सी0यू0 वार्ड क्रियाशील नहीं हो पाया है, जिसके कारण मरीज किसी अन्य मंहगे निजी अस्पतालों में जाने को विवश हो रहे है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुये जिला अस्पतालों में आई0सी0यू0 संचालन हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

124. श्री सुरेन्द्र राम (क्षेत्र संख्या-119 गरखा (अ0जा0))--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला स्थित जयप्रभा मेदांता अस्पताल द्वारा मरीजों से चिकित्सक परामर्श शुल्क सात दिनों के उपरान्त पुनः वसूली की जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त अस्पताल में दिनांक 6 फरवरी, 2026 को चिकित्सकीय परामर्श हेतु परामर्श शुल्क दिया गया तथा चिकित्सक द्वारा परामर्शानुसार जाँच कराकर जाँच रिपोर्ट दिखाने हेतु दिनांक 14 फरवरी, 2026 को दोबारा प्रावधानानुसार परामर्श शुल्क लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जयप्रभा मेदांता अस्पताल द्वारा मरीजों से चिकित्सक परामर्श शुल्क प्रत्येक सात दिनों के उपरान्त दोबारा लेने का औचित्य क्या है ?

नोट--'क'-दिनांक 18 फरवरी, 2026 को सदन द्वारा पर्यटन विभाग में स्थानांतरित।

सुविधा उपलब्ध कराना

125. श्री राहुल कुमार (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में लगभग 40-50 हजार लोग आनुवंशिक स्थिति डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हैं तथा प्रतिवर्ष 3-4 हजार बच्चे इस लक्षण के साथ जन्म लेते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त लक्षण से ग्रसित बच्चे सामान्य जीवन जीने में असमर्थ होते हैं और इन्हें दिव्यांग श्रेणी में रखना पड़ता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि गर्भावस्था के दौरान इसका परीक्षण हो जाने से समय पर स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन आदि की सुविधा प्रदान करने से ग्रसित बच्चे लगभग सामान्य जीवन-यापन करने में समक्ष हो सकते है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी सदर अस्पतालों में आनुवंशिक सिंड्रोम रोग की जाँच की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सौंदर्यीकरण कराना

126. श्री मनोष कुमार (क्षेत्र संख्या-160 धोरैया (अ0जा0))--क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार एवं झारखंड राज्य के सीमावर्ती बाँका जिला के धोरैया प्रखंड अन्तर्गत धन्कुंड ग्राम में एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसे मुगलकाल में ध्वस्त कर दिया था, जिसका अवशेष अभीतक धरातल पर दीवार के शक्ल में मौजूद है तथा मंदिर के बगल में शिवगंगा नदी भी हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मंदिर में शिवरात्रि एवं श्रावन महीना में लाखों शिवभक्तों द्वारा जलाभिषेक किया जाता है, इस आस्था का प्रतीक पौराणिक धनकुण्ड नाथ मंदिर का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण अबतक नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त धुनकुण्डनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार तथा सौंदर्यीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था लागू करना

127. श्री रितुराज कुमार (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सदर एवं जिला अस्पतालों से गंभीर रोगियों को उच्च चिकित्सा संस्थानों में रेफर की वर्तमान व्यवस्था अव्यवस्थित है फलस्वरूप मरीजों को पटना स्थित प्रमुख संस्थानों में भेज दिया जाता है, जिससे मरीजों एवं उनके परिजनों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त संस्थानों के बीच आपसी समन्वय तथा वास्तविक समय पर बिस्तर उपलब्धता की व्यवस्था के अभाव में मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भटकना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गंभीर मरीजों के रेफरल हेतु समुचित समन्वय, डिजिटल बिस्तर प्रबंधन प्रणाली तथा मरीज को भेजने से पूर्व बेड उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस नीति या व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव रखती है, यदि हाँ, तो उसका विवरणी एवं संभावित समय-सीमा क्या है, नहीं, तो क्यों ?

SDRF टीम को अपग्रेड करना

128. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार के Economy Survey 2025-26 में सर्वे के अनुसार 2024-25 में 2039 लोगों की मृत्यु डूबने से हुई है, जबकि 2024-25 में अन्य सभी आपदाओं को मिलाकर कुल 2547 मृत्यु हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि SDRF टीम की तैनाती अनुमंडल में नहीं रहने एवं आवश्यक उपकरण के अभाव में SDRF टीम अंचल कार्यालय पर छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए निर्भर है, जिससे रिस्पांस टाइम में विलम्ब के कारण जान की क्षति होती है ;

(3) क्या यह बात सही है कि SDRF टीम लोकल गोताखोरों पर ज्यादा आश्रित रहते हैं जो समय पर उपलब्ध नहीं होते हैं ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में डूबने से मृत्यु को रोकने हेतु SDRF टीम की तैनाती अनुमंडल स्तर पर एवं SDRF टीम को अपग्रेड कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान कराना

129. श्री मिथिलेश तिवारी (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014 से 2017 के बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मुफ्त चिकित्सा कराई गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में बीमा प्रदाता कम्पनियों को अंशकालिक राज्यांश राशि 32,97,21,085 रुपये का भुगतान किया गया था जबकि राज्य द्वारा 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 तक वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को नहीं भेजने के कारण चयनित अस्पतालों के बकाया राशि का भुगतान लम्बित है ;

(3) क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत BPL परिवारों के लाभुकों के आँखों की शल्य चिकित्सा मद की लाखों की राशि शांति नेत्रालय, महाराजगंज (सिवान) सहित अन्य अस्पतालों का अभीतक बकाया भुगतान लम्बित है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शांति नेत्रालय सहित राज्य के सभी सम्बद्ध अस्पतालों के वर्ष 2016-17 तक बकाया राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था करना

130. श्री सुभाष सिंह (क्षेत्र संख्या-101 गोपालगंज)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सदर अस्पताल, गोपालगंज में एम0आर0आई0 तथा एंजियोग्राफी की सुविधा उपलब्ध नहीं रहने के कारण मरीजों को उक्त जाँच अन्यत्र महंगे दर पर कराना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि हृदय, मस्तिष्क और नस संबंधी बीमारियों के लिए एम0आर0आई0 तथा एंजियोग्राफी जैसे जीवन रक्षक व्यवस्था सदर अस्पताल में नहीं होने से मरीजों को परेशानी होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एम0आर0आई0 तथा एंजियोग्राफी की व्यवस्था सदर अस्पताल, गोपालगंज में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

131. श्री अनिल सिंह (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ऊर्जा विभाग के नियमानुसार बिजली चोरी में पकड़े जाने की तिथि के एक वर्ष पूर्व से जुर्माने की राशि निर्धारित की जाती है, जबकि किसी भी अन्य विभाग के लिये भूतलक्षी प्रभाव से जुर्माना/सजा देने का प्रावधान नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्युत् चोरी के मामले में ज्यादातर गरीब परिवार के लोग पकड़े जाते हैं, जिनके पास विद्युत् कनेक्शन लेने के लिए पर्याप्त कागजात एवं जानकारी नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एक वर्ष पूर्व से जुर्माना वसूलने के नियम को शिथिल करते हुए विद्युत् कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा राशि देना

132. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विद्युत् स्पर्शाघात से मृत्यु होने पर सरकार के द्वारा मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है, जिससे आश्रितों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार लोकहित में विद्युत् स्पर्शाघात से हुई मृत्यु पर उनके आश्रितों को मुआवजा राशि देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 27 फरवरी, 2026 (ई0) ।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0 48(एल0ए0), 2025-26-डी0टी0पी0-600

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026